न्यायालय—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील—राजेन्द्रग्राम, जिला—अनूपपुर(म.प्र.)

Registration No- SUM/376/2022

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आबकारी परिक्षेत्र राजेन्द्रग्राम

विरूद्ध

रवीना, पति—राजकुमार चौकसे, उम्र—42 वर्ष, निवासी ग्राम टेंढ़ी लालपुर थाना करनपठार, जिला—अनूपपुर म0प्र0

।। नि — र्ण — य ।।

(आज दिनांक 13.10.2022 को घोषित)

1. आरोपी द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(1)क म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दोषी पाते हुये दोष सिद्ध किया जाता है।

2. आरोपी के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धी होना अभिकथित नहीं है। अतः आरोपी के द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति तथा प्रकरण की उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये आरोपी को धारा 34(1)क म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 500/— **रूपये** के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदायगी के व्यतिक्रम में उसे 15 दिवस का कारावास भुगताया जाये।

3. प्रकरण में जप्तशुदा शराब अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने पर मान्नीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण किया जावे।

4. प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज किया जाकर अभिलेखार भेजा जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, निर्देश पर टंकित किया गया
दिनांकित कर घोषित किया गया

(राहुल छत्री)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजेन्द्रग्राम, जिला—अनूपपुर म0प्र0

RAHUL CHHATRI

Digitally signed by RAHUL CHHATRI
Date: 2022.10.13 18:04:43 +0530